"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020—कार्तिक 22, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 10-6/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-06-2017 द्वारा लागू "असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना" को अधिक्रमित करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—**

1. योजना का नाम "असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं द्वियांग सहायता योजना" होगा.

(ख) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना के अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा.

(ग) **योजनांतर्गत देय लाभ राशि :—**

पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधोलिखित तालिकानुसार सहायता राशि देय होगी:—

स. क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1.	मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2.	स्थायी दिव्यांगता पर	50 हजार रुपये

(घ) **योजना की पात्रता :—**

1. 18 से 60 वर्ष की उम्र के असंगठित श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.
2. असंगठित श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए.
3. आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि प्रदान नहीं की जावेगी.
4. योजना के तहत् केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर नहीं.
5. मंडल द्वारा संचालित सिलिकोसिस से पीड़ित असंगठित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए पृथक से योजना संचालित है.

(च) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे.
2. आवेदक किसी भी च्वाईस सेन्टर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.
3. योजनांतर्गत आवेदन मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार किया जावेगा.
4. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं स्थायी दिव्यांग होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा.
5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा.

(छ) **स्वीकृति का अधिकार :—**

संबंधित जिले के कलेक्टर, द्वारा श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के प्रस्ताव पर ओवदन स्वीकृत किया जावेगा.

(ज) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

6. संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा सहायता राशि हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी के नामित व्यक्ति को प्रदान की जावेगी.
7. नामित व्यक्ति के नहीं होने पर वैध उत्तराधिकारी को राशि प्रदान की जावेगी.
8. वैध उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद की स्थिति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मान्य होगा.
9. हितग्राही के पंजीयन अभिलेख में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी की योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.
10. आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से हितग्राही/नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी.

(झ) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—**

योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

(ट) **योजना का प्रभावशीलन :—**

यह योजना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2019) में अंकित परिशिष्ट-1 में प्रविष्टि-65 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित करता है :—

अनुक्रमांक-66 निर्माण से संबंधित सामग्री

1- कनसरटीना वायर
2- हाईटेक बैरियर

अनुक्रमांक-67 वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री

1- नीम खली
2- बोनमील
3- डी. ए. पी.
4- सुपर फास्फेट
5- फोरेट
6- क्लोरोपायरिफास
7- मोनोकोटोफास
8- मेलाथियान
9- स्प्रेयर (आई.एस.आई. मार्क)
10- स्प्रींकलर (आई.एस.आई. मार्क)
11- ड्रिप सिस्टम
12- ग्रीन नेट
13- ग्रीन हाऊस
14- पॉली हाऊस
15- रूट ट्रेनर-40 सेल ब्लॉक, क्षमता 80 से 85 सी.सी. (साईज-350×220×100MM)

16- कोकोपीट
17- वर्मी कोलायड
18- आरा (आई.एस.आई.मार्क)
19- चैन सा (आई.एस.आई. मार्क)
20- कनासी (आई.एस.आई. मार्क)
21. एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड (आई.एस.आई. मार्क)

अनुक्रमांक-68 (विभिन्न प्रकार के पौधों की आवश्यकता)

(अ) फलदार पौधा :—

1- आम (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
2- ईमली (ऊंचाई-4 से 5 फिट)
3- जामुल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
4- महुआ (ऊंचाई-4 से 5 फिट)
5- चिरौन्जी (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
6- आंवला (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
7- हर्रा (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
8- बहेड़ा (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
9- कटहल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)

(ब) औषधि पौधा :—

1- तिखुर
2- बैचांदी
3- जिमीकांदा
4- दहीमन

(स) अन्य पौधा :—

1- बरगद (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
2- पीपल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
3- नीम (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
4- सागौन रूटशूट (स्टेण्डर्ड साईज)
5- डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रीक्टस राईजोम (दो वर्ष पुराना)
6- बम्बूसा बैलकोवा राईजोम (दो वर्ष पुराना)
7- बम्बूसा बलगेरिस राईजोम (दो वर्ष पुराना)
8- क्लोनल नीलगिरी (ऊंचाई-1.5 से 2 फिट)

अनुक्रमांक-69

1- राजमिस्त्री औजार किट
2- रेजा कुली औजार किट
3- कारपेंटर औजार किट
4- पेंटर औजार किट
5- इलेक्ट्रीशियन औजार किट
6- प्लंबर औजार किट
7- सुरक्षा उपकरण किट

अनुक्रमांक-70

1- सेनेटरी पेड
2- सेनेटरी पेड वेंडिंग मशीन
3- सेनेटरी पेड इनसिनरेटर

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 4 अगस्त 2020

क्रमांक/1258/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	घोटमर्रा प.ह.नं. 01	0.30	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बेरला.	घोटमर्रा स्टापडेम योजना अंतर्गत प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्रमांक/12035/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	कसनिया	4.867	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ीउपरोडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2020

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी
(रायपुर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक 5644 न.क्र. 39/यो.शा./वि.प्रा./2011/पार्ट-3/VoI.II/2020.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना रायपुरा में विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र योजना के लिए यथा अनुमोदित योजना के आशय की घोषणा को छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 09-07-2010 में तथा धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप तैयार आपत्ति या सुझाव हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 17-02-2012 में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया गया है.

उक्त नगर विकास स्कीम रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना रायपुरा में विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र योजना को संचालक मंडल की बैठक क्रमांक 1/19 दिनांक 26-02-2019 के अनुसार डि-नोटिफिकेशन का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, नया रायपुर को भेजा गया. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/एफ/3-11/2010/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05-08-2019 के अनुसार विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र विकास योजना, रायपुरा को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50-क के अंतर्गत विमुक्त (excluded) करने की अनुमति दी गई है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र विकास योजना को डि-नोटिफिकेशन किया जाता है.

No. 5644 न.क्र. 39/यो.शा./वि.प्रा./2011/पार्ट-3/VoI.II/2020.—Under the Sub-section (2) of the Section-50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (Number 23 Year 1973) declaration of new project in Raipura Specially assigned for commercial area project approved Raipur Development Authority and Gram Development Authority in Official Gazette of Chhattisgarh dated: 09-07-2010 and publication in Official Gazette of Chhattisgarh dated : 17-02-2012 under Sub-Section (3) of Section-50 for any objection or suggestion from the public in general.

The Board of Directors in their meeting No. 1/19 dated: 26-02-2019 has sent the proposal of de-notification for the new project in Raipura specially assigned for commercial area project approved Raipur Development Authority and Gram Development Authority to the Department of Accommodation and Environment, Naya Rapur. The permission to exclude the said special commercial development area, Raipur has been given by the Government of Chhattisgarh vide its letter No./F/3-11/2010/32 Naya Raipur, Atal Nagar dated: 05-09-2019 under the Section-50(A) of the Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973. It is duly informed to the public in general that said special commercial area development project is hereby de-notified.

सुभाष धुप्पड़,
अध्यक्ष.